


तारीख हुक्म

05/09/24 पत्रावली पेश हुई।

प्रकरण लगते समय से तलबी में विचाराधीन है वकील वादी हाथ तलबी पूर्ण नहीं। इससे स्पष्ट है कि वकील वादी एवं वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। निहाय वादी का वाद आदेश 09 नियम 05^{CPC} "अदम पालना" में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नुसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर।

